Shri Shailendra Kumar-1
Excl. Special Judge, SC/ST (POA) Act, Darbhanga.
ABP No. 343/2026, order dated 17-03-2026
Adil Akhtar Versus State of Bihar

Court of Excl. Special Judge, SC/ST (POA) Act, Darbhanga

A.B.P. No. - 343/2026 Order dated 17-03-2026

1. आदिल अख्तर पे0 सैयद अबु अखतर ..... आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी।

(लहेरियासराय थाना काण्ड सं0 483/2023 अन्तर्गत धारा 406, 420, 467, 468 of IPC)

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री संजीव रंजन।

विपक्षी राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक :– श्री अमरेन्द्र नारायण झा।

आदेश

17.03.2026 1. **आवेदक/अभियुक्त** के तरफ से धारा 482 (2) बी0एन0एस0एस0 के तहत लहेरियासराय थाना काण्ड सं0 483/2023 अन्तर्गत धारा **406, 420 467, 468 of IPC** जो श्री विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दरभंगा के न्यायालय में लम्बित है, में अपनी गिरफतारी के आशंका से बचने के लिए दिनांक 21.02.2026 को विद्वान सत्र न्यायाधीश, दरभंगा के न्यायालय में दाखिल किया गया, जो स्थानांतरण के पश्चात् दिनांक 11.03.2026 को इस न्यायालय में सुनवाई एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ। आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिव. क्ता **श्री संजीव रंजन** एवं विद्वान लोक अभियोजक **श्री अमरेन्द्र नारायण झा** को सुना।

2. अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि सूचक अल्लामा एकबाल के मकान में नजमुस साकिब एवं उसका भाई फरहुल साकिब किराये पर रहते थे। जिस कारण सूचक की इन दोनों से जान पहचान हो गयी और जनमुस साकिब ने उनसे कहा कि डी0एम0सी0एच0 में दवा सप्लाई का काम करते हैं उनके साथ इस काम में उनके मामू आदिल अख्तर, अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ गोलू, मनीष कुमार सिन्हा, नन्द भूषण उर्फ नंदन, नजमुस साकिब का फुफेरा मामू सैयद फैज अहमद सब मिलकर डी0एम0सी0एच0 में दवा का टेन्डर लेकर दवाई की सप्लाई करते हैं जिसमें वे लोग पार्टनर बनकर उसमें पूंजी लगाते हैं और फायदे में जिसकी पूंजी लेते हैं उसको बांट कर रूपया देते हैं। इन्होंने अपने विश्वास में लेने के लिए डी0एम0सी0एच0 दरभंगा अधीक्षक द्वारा निर्गत चेक की कॉपी एवं टेंडर में भाग लेने के कागजात भी दिखाया और सभी पार्टनर से भेंट करवाया जिससे सूचक को विश्वास हो गया तो वह नजमुस साकिब को विभिन्न तिथियों में कुल मिलाकर 6,20,000/– रूपये दिये और जमानत के तौर पर एक ब्लैंक चेक एवं हजार के स्टाम्प पर हस्ताक्षर कर उसे दे दिया। उसके बाद कुल

Court of Excl. Special Judge, SC/ST (POA) Act, Darbhanga

A.B.P. No. - 343/2026 Order dated 17-03-2026

कैपिटल इन्वेस्ट के नाम पर उससे कुल 12,74,700/– रूपया धोखा देकर इनको ठगा और 14 फरवरी 2023 को डेढ़ लाख रूपया उनके मुनाफे के नाम पर दिया और उसके बाद सभी अभियुक्तगण इनका रूपया लेकर फरार हो गये। सूचक का यह भी आरोप है कि ये अपराधीगण ठगैती का एक गैंग दरभंगा में चला रहा है, जिसमें नजमुस साकिब, उसका भाई फरहुल ऐन, मामू आदिल अख्तर इनके अलावे नजमुस साकिब का फुफेरा मामू सैयद फेजुल्लाह खॉ, अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ गोलू, मनीष कुमार सिन्हा एवं नन्द भूषण उर्फ नंदन संलिप्त हैं।

3. आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन उक्त कांड में गिरफतारी की आशंका से बचने के लिए संस्थित किया गया है। आवेदक की ओर से इसके पूर्व कोई जमानत आवेदन ना तो सत्र न्यायालय में और ना ही उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है और ना ही कोई जमानत आवेदन लंबित है। आवेदक का इसके पूर्व दो आपराधिक इतिहास रहा है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं। इनका यह भी कहना है कि आवेदक का कथित घटना से कोई वास्ता सरो. कार नहीं रहा है। इनका यह भी कहना है कि आवेदक अभियुक्त नजमुस शाकिब का रिश्तेदार है और इसके अलावे उससे कोई वास्ता सरोकार नहीं है। आवेदक के खाता में किसी प्रकार की कोई राशि अंतरित नहीं हुआ है। इनका यह भी कहना है कि सह अभियुक्त नंद भूषण उर्फ नंदन को इस न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन सं0 691/25 के द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान की गयी है। आवेदक न्यायालय के सभी शर्तो को मानने के लिए तैयार है। आवेदक/अभियुक्त सम्मानित व्यक्ति हैं तथा धारा 482 (2) बी0एन0एस0एस0 के सभी शर्त्तों का पालन करने लिए तैयार है। अतः आवेदक / अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने की कृपा की जाय।

4. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया एवं खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

5. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा समर्पित काण्ड दैनिकी सहित सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह विदित होता है कि आवेदक के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर बड़ी रकम की ठगी एवं कपट करने का अभियोग आरोपित है। सह अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा लगभग छः महीने तक काराधीन रहने के उपरांत ही जमानत की सुविधा

Court of Excl. Special Judge, SC/ST (POA) Act, Darbhanga

A.B.P. No. - 343/2026 Order dated 17-03-2026

प्रदान की गयी थी। आवेदक के विरूद्ध कपट के अपराध में सम्मिलित होने का प्रत्यक्ष अभियोग आरोपित है। सह अभियुक्त के खाते पर कपट के प्रभावस्वरूप किये जाने वाले भुगतान की कुछ रकम आने का भी तथ्य काण्ड दैनिकी में उल्लेखित है तथा इस संबंध में पर्याप्त सामग्री अभिलेख पर मौजूद हैं। आवेदक पर संगठित अपराध करने वाले गिरोह का सदस्य होने का अभियोग है। आरोपित अभियोग की प्रकृति एवं आवेदक के आरोपित अपराध में सक्रिय भागीदारी के संबंध में अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री को देखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक **आदिल अख्तर** द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

लेखापित,

Sd/-
अनन्य् न्यायाधीश
एस0सी0 / एस0टी0(पी0ओ0ए0) एक्ट
दरभंगा।

Date of Judgment/order	
Date of Reserving Judgment/order	
Uploading order	
Uploaded by	